



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092023-248778
CG-DL-E-15092023-248778

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 530]
No. 530]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 15, 2023/भाद्र 24, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 15, 2023/BHADRA 24, 1945

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2023

सा.का.नि. 671(अ).—केन्द्रीय सरकार कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, पन्द्रह दिनों की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो पन्द्रह दिनों की पूर्वोक्त अवधि के समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में, किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में आक्षेपों और सुझावों को संयुक्त सचिव (वनस्पति संरक्षण) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 अथवा jspp-dac@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी संशोधन (सातवां संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) यह राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कीटनाशक नियम, 1971 (इसके पश्चात उक्त नियम के रूप में संदर्भित) में नियम 19 के उप-नियम (3) के “स्पष्टीकरण” पैरा के खंड (i) को निम्नलिखित शब्दों के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(i) कोई भी पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक किसी ऐसे लेवल या पर्ची, जो कीटनाशी (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 के उपबंधों के अनुसार न हो, का उपयोग, कीटनाशी (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 के प्रवृत्त होने की तारीख से नौ माह के पश्चात नहीं करेगा।”

[फा. सं. 13035/33/2019-पीपी-1]

आशीष कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

नोट:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 1650 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 1971 और सा.का.नि. 315 (अ) दिनांक 26 अप्रैल, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2023

G.S.R. 671(E) .—The following draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), is hereby published, as required by the said section, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of fifteen days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period of fifteen days will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions in respect to the said draft rules may be forwarded to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi-110001 or through email at jspp-dac@gov.in.

DRAFT RULES

1. **Short Title and Commencement** - (1) These rule may be called the Insecticides (Seventh Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Insecticides Rules, 1971 (hereinafter referred as the said rules), clause (i) of “Explanation” para of sub-rule (3) of rule 19 shall be substituted with the words:

“(i) no registration certificate holder shall use a label or leaflet, which is not in accordance with the provisions of the Insecticides (Second Amendment) Rules, 2023, after a period of nine months from the date of commencement of the Insecticides (Second Amendment) Rules, 2023.”

[F. No. 13035/33/2019-PP-1]

ASHISH KUMAR SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1650 (E), dated the 19th October, 1971 and was amended vide G.S.R 315 (E) dated 26th April, 2023.